1 क्रम 199 Rs

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

15 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 196467

स्टाम्प 800=00

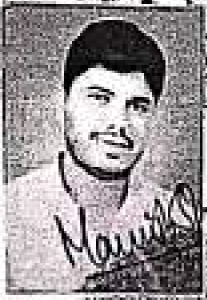

Trust Deed

2

मैं ऋचा शुक्ला पत्नी श्री मनीष शुक्ल निवासी ग्राम भाव, पो0–सिया, तह0–कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ उ0प्र0 (आधार संख्या 634452541038) का हूँ, जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों नें यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रुपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/– रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। व्यवस्थापकों ने उक्त को ट्रस्ट का प्रथम होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि।

1. यह कि ट्रस्ट का नाम– आर0एम0 एस0 फॉउन्डेशन **(R.M.S. FOUNDATION)** होगा ।
2. यह कि उक्त का पंजीकृत कार्यालय– ग्राम–~~कुम्हुगी पो0–सिया~~, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ़, उ0प्र0 होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थान्तरित कर सकते हैं।

Manish Shukla

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

07 SEP 2020

कोषागार-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FF 825012

(2)

3. यह कि धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, विकास, कार्य करना, मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु सहकारी, गैर सहकारी, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार एवं मा० सासंद, मा० विधायक, मा० एम०एल०सी० द्वारा अनुदान/निधि प्राप्त कर धार्मिक स्थल का सम्पूर्ण विकास करना।

4. कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना एवं संचालन करना।

5. बेरोजगार, जरूरतमंद व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करना।

6. लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

7. प्राथमिक से उच्च स्तर तक स्कूल कॉलेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार की ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।

8. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल, हिन्दी व इंग्लिश मीडियम व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

9. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

Manish Shukla

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

07 SEP 2020

कोषागार-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FF 825013



10. शैक्षिक किताबों, पेपर, साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, वाचनालय तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

11. सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म आदि का निर्माण कराना। तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप करना।

12. धर्मशाला, आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

13. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना ताकि जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

14. दान दाताओं, विदेशी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी सहायता, ऋण व अन्य सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाइजी बनकर उसे बढ़ानें का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी

Manish Shukla

8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

07 SEP 2020

कोषागार-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FF 825014

(4)

अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हे कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस उपलब्ध करवाना।

15. समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिये प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

16. समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।

17. गंगा को प्रदेषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना।

18. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक द्वारा करना।

19. अस्पताल, औषधालय, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्कैनिंग सेन्टर, पाली क्लीनिक, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

Manish Shukla.

20. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनायें रखने हेतु कार्य करना। शहरों एवं गावों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ बनाये रहे और आय के साधन बढ़ें।
21. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रवन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
22. स्कूल व कॉलेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
23. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हे क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
24. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना।
25. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना।
26. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।
27. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।
28. यह कि धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हो सके।
29. महिलाओं, बालक, बालिकाओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व चारित्रिक विकास करना। प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।
30. ऊसर एवं बजर भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना तथा कृषिकों को आधिनिक तकनीकी द्वारा खेती करने की जानकारी/प्रशिक्षण/नये यंत्रो की जानकारी देना तथा भूमि सुधार औषधि एवं सुगन्धीय पौधों की खेती करना, नैडम एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा जैविक कृषि हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना।

Manish Shukla

31. सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करना, सांस्कृतिक गोष्ठी, सेमिनार, जनजातीय लोक कला एवं विनिदृष्टि कला हेतु विकास करना, संगीत कला केन्द्र/संगीत महाविद्यालयों की स्थापना करना, वाद्य यंत्रों का रख रखाव, लुप्त हो रही संस्कृति को उजागर करना, अनुसंधान, प्रोत्साहन विषयक संगोष्ठी, जन्म सताव्दी समारोहों का आयोजन करना तथा विभिन्न प्रकार की विभिन्न विधाओं में संगीत प्रतियोगितायें आयोजित करना।

32. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्ट की शाखा व कार्यालयों की स्थापना करना।

कार्यक्षेत्र–

1. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा। ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन।

(क) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति चल व अचल ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी। जिसे ट्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बंधक रखा जा सकता है। ट्रस्ट/संस्था की ओर से आवश्यक शपथ–पत्र/प्रति शपथ–पत्र या विलय पर ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगें।

(ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें।

(ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्ध कारिणी समिति होगी जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता आथारिटीज उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा जिसमें कम से कम 03 आजीवन सदस्य ट्रस्ट द्वारा नामित किये जायेगें।

Manish Shukla.

(घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेगें।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्तिः–

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

3. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों नें ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा अध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा।

4. यह कि ऋचा शुक्ला पत्नी श्री मनीष शुक्ल निवासी ग्राम भाव–सिया तहसील– कुण्डा जनपद– प्रतापगढ़ (उ0प्र0) उपरोक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व मनीष शुक्ल पुत्र श्री राम सूरत शुक्ल निवासी ग्राम भाव–सिया तहसील– कुण्डा जनपद– प्रतापगढ (उ0प्र0) ट्रस्ट के सचिव व रत्नेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री पारस नाथ त्रिपाठी निवासी ग्राम हंसराजपुर पोष्ट–होलागढ तहसील– सोराव जनपद– प्रयागराज़ (उ0प्र0) ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होगें।

अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेगें–

यह कि ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा ये व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यवित उनके चुनाव के लिए कोई कानूनी

Manish Shukla

कार्यवाही करेगें। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्यागपत्र देता है और सविच, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्यागपत्र देने वाले सदस्य का समस्त अधिकार ट्रस्ट से समाप्त हो जायेगा।

**1. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें–**

**अध्यक्ष–** ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने के लिए सचिव निर्देश व सहयोग प्रदान करना।

**उपाध्यक्ष–** अध्यक्ष का सहयोग करना एवं उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

**सचिव–** ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव को कार्य रुप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रुप से संचालित करना, सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशनुसार बुलाना, सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर अध्यक्ष से सत्यापित करना, अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना, ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित करना, ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख–रखाव एवं उनकी सुरक्षा करना। ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना ।

**उपसचिव–** सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य करना।

**कोषाध्यक्ष–** ट्रस्ट की समस्त आय व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष द्वारा खातों का संचालन किया जा सकेगा।

Manish Shukla

2. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे, न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहुति की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेगें। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

3. यदि कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व परमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक व अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझें प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगें। तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

4. यह कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेण्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण प्रस्तावित बैठक की विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

6. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा । अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों /अचल सम्पत्तियों को बन्धक रख

कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारण्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगें तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करनें चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये या क्रय करने या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने, क्रय करने, विक्रय करने, किराये पर देनें, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 2/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पद, पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें और यह शिलशिला आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा।

10. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्त, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें परन्तु अन्य ट्रस्टीगण, बैंकर, दलाल, एजेण्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु वह उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगें।

11. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिग एकाउन्ट्स, खातों व अन्य सभी बैंकिग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा, सचिव  के अकेले द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

12. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम उद्दश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त अध्यक्ष एवं सचिव होगें और यह शिलशिला आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा।

13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. यह कि अध्यक्ष सविच एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजब्ता हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय/व्यय का लेखा व आर्थिक

Manish Shukla

चिट्ठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट द्वारा कराया जायेगा।

15. यह कि न्यासी/ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सकें। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगें। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थपक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/ ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

16. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी क्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होगें।

17. यह कि ट्रस्ट की डीड ट्रस्ट के सचिव द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

18. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का निस्तारण कर ट्रस्ट के सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

Manish Shukla